रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED NO. D (D.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 24, 1979/चैत्र 3, 1901

No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 24, 1979/CHAITRA 3, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित है

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1978

सा० का० नि० 427.—केन्द्रीय सरकार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 27 के नियम 8ख के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना सा० का० नि० सं० 1412 तारीख 25 नवम्बर, 1960 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, कर्नाटक से संबंधित मद 9 में, बंगलौर नगर के अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित उपमद (ख) के स्तम्भ (2) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"श्री जी० कृष्णप्पा,

केन्द्रीय सरकार के प्लीडर,"।

2. यह अधिसूचना 1 मार्च, 1979 से प्रभावी होगी।

[सं० फा० 35(2)/79-न्या०]

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 26th February, 1979

G.S.R. 427.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of rule 8B of Order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the late Ministry of Law (Deptt. of Legal Affairs) No. G.S.R. 1412, dated the 25th November 1960 namely :—

In the Schedule to the said notification, in item 9 relating to Karnataka, against sub-item (b) relating to the Subordinate Courts in Bangalore City, for the entry in column (2) the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri G. Krishnappa,

Central Government Pleader".

2. This notification shall come into force with effect from the 1st March, 1979.

[No. F. 35(2)/79-Judl.]

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1979

सा० का० नि० 462.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (i) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है अर्थात् :—

1. इस स्कीम का नाम कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1979 है ।

2. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 के पैरा 1 के उपपैरा (3) के खण्ड (ख) में, उपखण्ड '84' के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"85 भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 31, तारीख 16 दिसम्बर, में विनिर्दिष्ट लिग्नाइट खानों के संबंध में 6 जनवरी, 1979 को प्रवृत्त होगी ।"

व्याख्यात्मक टिप्पणी

नेवेली लिग्नाइट निगम एक समेकित उपक्रम है । इसमें खानें भी हैं और कारखाना प्रतिष्ठान भी है । निगम की खानों में कार्य कर रहे कर्मचारी कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आते थे और ऐसे कर्मचारी जो कारखाने में नियोजित थे, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत आते थे । श्रमिकों और नियोजक के अनुरोध पर, यह निर्णय किया गया है कि निगम की खानें और कारखाने दोनों को एक ही भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए । तदनुसार, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० नं० 31, तारीख 16 दिसम्बर, 1978 द्वारा नेवेली कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1966 की प्रयोज्यता को रद्द कर दिया गया है और निगम की लिग्नाइट खानों को भी 6 जनवरी, 1979 से कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत लाया गया है । अतः कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 को भी 6 जनवरी, 1979 से (अर्थात् जिस तारीख से नेवेली कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1966 को रद्द कर दिया गया है) निगम की लिग्नाइट खानों पर लागू कर दिया गया है । इसको पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने से संबंधित कर्मचारियों या नियोजक के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[सं० एस-35016(3)/79-पी०एफ-2]

New Delhi the 9th March, 1979

G.S.R. 462.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 nemely :—

1. This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Amendment) Scheme, 1979.

2. In clause (b) of sub-para (3) of para 1 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, after sub-clause 'LXXXIV', the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"LXXXV" as respects lignite mines specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour G.S.R. 31, dated the 16th December, 1978 come into force on the 6th January, 1979.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Neyveli Lignite Corporation is an integrated undertaking in as much as it has mines as well as factory establishments. The employees engaged in mines of the Corporation were covered under the Coal Mines Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1948 and those employed in factory were covered under the Employes' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952. On the request of the workers and the employer, it has since been decided that both the mines and the factory of the Corporation should be brought under one Provident Fund Scheme. Accordingly vide Government of India in the Ministry of Labour notification bearing G.S.R. number 31, dated the 16th December, 1978 the application of the Neyveli Coal Mines Provident Fund Scheme, 1966 has been rescinded and the lignite mines of the Corporation have also been covered by the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 with effect from the 6th January, 1979, the date from which the Neyveli Coal Mines Provident Fund Scheme, 1966 has been rescinded. The retrospective application shall not in any way affect adversely the interests of either the employer or the employees concerned.

[No. S. 35016(3)/79-PF. II]

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1979

सा०का०नि० 463.—केन्द्रीय सरकार, कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 7 साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या पी०एफ०/15/5/48, तारीख 11 दिसम्बर, 1948 के साथ प्रकाशित कोयला खान भविष्य निधि स्कीम में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इस स्कीम का नाम कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1979 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. कोयला खान भविष्य निधि स्कीम में पैरा 25क में, खण्ड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

"(4) दिसम्बर, 1978 के पश्चात्, कोयला खान में कर्मचारी, के नियोजन की तारीख से, खदान कर्मचारी के मामले में, कम से कम 48 दिन और धरातली कर्मचारी के मामले 60 दिन ।"

3. पैरा 38 के उप पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायगा, अर्थात् :—

"(2) निधि की सदस्यता के लिय अर्ह हुए व्यक्तियों द्वारा प्ररूप 'क' में दो प्रतियों में दी गई घोषणाओं के साथ, यथास्थिति, प्ररूप 'ज' में या प्ररूप 'ज' (पुनरीक्षित) में विवरणियां दी जायेंगी । प्ररूप "क" में दी गई घोषणा की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय में रखी जायगी और क्षेत्रीय आयुक्त द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित दूसरी प्रति नियोजक को वापस कर दी जायगी जो अभिलेख के लिय उसे यथास्थिति, सदस्य को और यदि सदस्य अवयस्क है तो उसके संरक्षक को सौंप देगा ।"

4. पैरा 62 में,—

(i) उपपैरा (1) में, "प्ररूप "क" में अपनी घोषणा" शब्दों के के पश्चात् "जो दो प्रतियों में दी जायेगी" शब्द अन्तःस्थापित किये जायेंगे ;

(ii) उप पैरा (5) में, यथास्थिति "प्ररूप "ड" या प्ररूप "डड में" शब्दों के पश्चात् "जो दो प्रतियों में दी जायगी" शब्द अन्तःस्थापित किये जायेंगे ।

Attested

21/11/12